न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटा, जिला कोटा (राज0)
पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 11/2023 (गुण्डा एक्ट)
जी.सी.एम.एस नं.– 2023/85

उनवान

राज्य सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस स्टेशन **कनवास** जिला कोटा ग्रामीण (राज0)

बनाम

राजू मेहरा पुत्र रामेश्वर जाति मेहरा निवासी धूलेट थाना कनवास जिला कोटा

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 (1)
राजस्थान गुण्डा
नियंत्रण अधिनियम, 1975

निर्णय दिनांक : 16/10/25

थानाधिकारी पुलिस स्टेशन **कनवास** जिला कोटा ग्रामीण की ओर से जर्ये पुलिस अधीक्षक, जिला कोटा (ग्रामीण) यह इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 (1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 में कार्यवाही हेतु इस आशय के साथ पेश किया गया कि गैरसायल **राजू मेहरा पुत्र रामेश्वर जाति मेहरा निवासी धूलेट थाना कनवास जिला कोटा** थाना क्षैत्र में अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तथा जुआ अध्यादेश अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने का आदी है, तथा उक्त अपराध को करने में थाना क्षैत्र में आतंक बनाकर रखता है। गैरसायल की उक्त गतिविधियों से आम जन आतंकित होकर भयग्रस्त रहते है। जिससे उसके क्षैत्र में निवास करने वाले साक्षी लोग उसके विरूद्ध साक्ष्य देने के लिऐ आगे आने के इच्छुक नहीं रहते है। साक्ष्य देने की स्थिति में अपने आपको असुरक्षित महसूस करते है। गैरसायल के विरूद्ध आपराधिक रिकार्ड निम्न है।

क्र. स.	प्रकरण संख्या	धारा	चार्जशीट न0 व दिनांक	न्यायालय निर्णय
1.	77/2021	13 आरपीजीओ	68/ 20-4-2021	न्यायालय द्वारा 100 रू0 जुर्माना किया गया।
2.	33/2022	13 आरपीजीओ	29/14-02-2022	न्यायालय द्वारा 100 रू0 जुर्माना किया गया।

अतः **राजू मेहरा पुत्र रामेश्वर जाति मेहरा निवासी धूलेट थाना कनवास जिला कोटा** के विरूद्ध इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी गैरसायल की गई। गैरसायल को सारवान आरोपों को अभिलिखित करते हुऐ नोटिस दिया गया। गैरसायल उपस्थित हुआ। गैरसायल की ओर से वकील श्री रमेशचंन्द कुशवाह द्वारा

अति. जिला कलक्टर
कोटा

वकालतनामा पेश किया। गैरसायल की ओर से कोई जवाब पेश नही किया। गैरसायल के अभिभाषक द्वारा कोई बहस नही की गई।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। थानाधिकारी **कनवास** द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही में गैरसायल के विरूद्व 13 आर.पी.जी.ओ. की धारा मे 02 प्रकरण दर्ज हुए है सभी प्रकरणो मे गैरसायल को न्यायालय द्वारा जुर्माने से दण्डित किया गया है। गैरसायल को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी कोई जवाब मौखिक या लिखित पेश नही किया गया। अतः इस्तगासा में वर्णित अभियोग में गैरसायल को न्यायालय द्वारा दोष सिद्व एंव दण्डित करने की स्थिति विद्यमान है। जिसके लिऐ पेरोकार सरकार द्वारा गैरसायल की गतिविधियां आमजन के लिऐ घातक होना कथन करते हुऐ गैरसायल को जिला बदर किये जाने की प्रार्थना की गई। गैरसायल को इस इस्तगासा प्रकरण में वर्णित 13 आरपीजीओ की धाराओ में दर्ज प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्व एंव दण्डित करने की प्रमाणिक स्थिति विद्यमान होने के कारण गेरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत गुण्डा परिभाषित है। जिसके फलस्वरूप राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उपधारा 1 (ए) (बी) तथा (सी) के अन्तर्गत वर्णित स्थिति विद्यमान होना पाते हुऐ गैरसायल को जिला बदर किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार **राजू मेहरा पुत्र रामेश्वर जाति मेहरा निवासी धूलेट थाना कनवास जिला कोटा** को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) के अन्तर्गत 07 दिन के लिऐ **थाना कनवास** जिला कोटा की सीमा से **जिला झालावाड** के लिऐ निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल इस समयावधि में जिला कोटा की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा, नेकचलन रहेगा तथा निष्कासन अवधि के दौरान आने वाले सोमवार को अपनी उपस्थिति तथा गतिविधियो की जानकारी **थानाधिकारी, खानपुर जिला झालावाड** को प्रस्तुत करेगा। **थानाधिकारी, खानपुर जिला झालावाड** गैरसायल की गतिविधियों पर निगरानी रखेगें। गैरसायल की उक्त 07 दिवस की निष्कासन अवधि 20 दिन पश्चात अर्थात **दिनांक 20.11.2025** से प्रारम्भ होगी। थानाधिकारी थाना **थाना कनवास** जिला कोटा ग्रामीण उक्त गैरसायल **राजू मेहरा पुत्र रामेश्वर जाति मेहरा निवासी धूलेट थाना कनवास जिला कोटा** को दिनांक **20.11.2025** को पुलिस अभिरक्षा में थाना **कनवास** जिला–कोटा (ग्रामीण) की सीमा से थाना **कोतवाली झालावाड** की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था करेगें। थानाधिकारी, **थानाधिकारी, खानपुर** उक्त गैरसायल की उपस्थिति की सूचना देगे तथा निष्कासन अवधि समाप्त होने पर थानाधिकारी **कनवास** जिला कोटा (ग्रामीण) गैरसायल के वापस थाना क्षैत्र **कनवास** जिला कोटा (ग्रामीण) में लोटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेगें।

निर्णय आज दिनांक ......16/10/25..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
कोटा, जिला कोटा
अति. जिला कलक्टर
कोटा